

इसे वेबसाईट www.govtprintmp.nic.in
से भी डाउन लोड किया जा सकता है।



मध्यप्रदेश राजापत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 332]

भोपाल, सोमवार, दिनांक 25 जून 2018—आषाढ़ 4, शक 1940

विधान सभा सचिवालय, मध्यप्रदेश

भोपाल, दिनांक 25 जून 2018

क्र.13934-वि.स.-विधान-2018.—मध्यप्रदेश विधान सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम-64 के उपबंधों के पालन में मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, 2018 (क्रमांक 13 सन् 2018) जो विधान सभा में दिनांक 25 जून, 2018 को पुरस्थापित हुआ है. जनसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है.

अवधेश प्रताप सिंह
प्रमुख सचिव
मध्यप्रदेश विधान सभा.

मध्यप्रदेश विधेयक

क्रमांक १३ सन् २०१८

मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) विधेयक, २०१८

मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ को और संशोधित करने हेतु विधेयक.

भारत गणराज्य के उनहत्तरवें वर्ष में मध्यप्रदेश विधान-मंडल द्वारा निम्नलिखित रूप में यह अधिनियमित हो :—

संक्षिप्त नाम और
प्रारंभ.

१. (१) इस अधिनियम का संक्षिप्त नाम मध्यप्रदेश वेट (संशोधन) अधिनियम, २०१८ है।

(२) यह मध्यप्रदेश राजपत्र में इसके प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगा।

धारा ४६ का
संशोधन.

२. मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) की धारा ४६ में,—

(एक) उपधारा (५) के परन्तुक में, शब्द “और अपीली प्राधिकारी छह कलैंडर मास के भीतर अपील का निपटारा करेगा” का लोप किया जाए;

(दो) उपधारा (८) में, खण्ड (क) में, शब्द “चौबीस कलैंडर मास” के स्थान पर, शब्द “अड़तालीस कलैंडर मास” स्थापित किए जाएं;

(तीन) उपधारा (९) में, शब्द “चौबीस कलैंडर मास” के स्थान पर, शब्द “अड़तालीस कलैंडर मास” स्थापित किए जाएं।

उद्देश्यों और कारणों का कथन

अपीली प्राधिकारियों के रूप में नियुक्त अधिकारियों की कमी के कारण लंबित अपीलों का समय-सीमा में निराकरण करना कठिन है। अतएव, मध्यप्रदेश वेट अधिनियम, २००२ (क्रमांक २० सन् २००२) में समुचित संशोधन प्रस्तावित हैं।

२. अतः यह विधेयक प्रस्तुत है।

भोपाल :

तारीख २१ जून, २०१८

जयंत मलैया

भारसाधक सदस्य.

“संविधान के अनुच्छेद २०७ के अधीन राज्यपाल द्वारा अनुरोधित।”

अवधेश प्रताप सिंह

प्रमुख सचिव,

मध्यप्रदेश विधान सभा।